यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, वद्युत एवं यात्रिक खण्ड, गोपेश्वर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, वद्युत एवं यात्रिक खण्ड, गोपेश्वर के माह 03/2013 से 01/2018 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री पी.के. श्रीवास्तव, सहायक लेखा परीक्षा अ धकारी एवं श्री संजीव कुमार, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 03/02/2018 से 08/02/2018 तक श्री जगमोहन संह रावत, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री पी.के. गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री दिनेश कुमार, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक ..... से ..... तक सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 03/2012 से 02/2013 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 03/2013 से 01/2018 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्र : वद्युतीकरण एवं मशीन की मरम्मत, रूद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली।

   (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(लाख में)

वर्ष	शीर्ष	स्थापना		गैरस्थापना		आ धक्य	बचत (समर्पण)
		प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय		
2014-15	संलग्न						
2015-16							
2016-17							

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त ` (लाख)	व्यय (+) ` लाख	बचत (-) ` लाख
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई 'ब' श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव, लोक निर्माण वभाग
प्रमुख अ भयन्ता
मुख्य अ भयन्ता
अधीक्षण अ भयन्ता
अ धशासी अ भयन्ता

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, वद्युत एवं यात्रिक खण्ड, गोपेश्वर को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, वद्युत एवं यात्रिक खण्ड, गोपेश्वर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2015 एवं 03/2017 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया। .....का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन अ धक व्यय के आधार पर कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक .....N.A.... से ....N.A..... का निरीक्षण कया गया।
4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवा र्षक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वा र्षक लेखाबन्दी क्रमशः माह 12/2017 तथा 09/2017 तक की गई।
5. फार्म 51: माह 01/2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रे षत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द् वतीय के अवशेष निम्नवत हैः-

   भाग प्रथम 44109/-

   भाग द् वतीय 3990/-
6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 01/2018 के अन्त में

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम : ₹ 398565/-

   (ख) सामग्री क्रय : शून्य

   (ग) नगद परिशोधन : शून्य

   (घ) निक्षेप : 25364026/-

   (ङ) भण्डार : शून्य

भाग दो ‘अ’

-शून्य-

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 1- हायर जार्चेज के रूप में 123.62 लाख की वसूली का लंबित रहना।

अ धशासी अ भयन्ता, वद्युत एवं यांत्रिक खण्ड, गोपेश्वर के अ भलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया (फरवरी 2018) क खण्ड द्वारा व भन्न वभागों/खण्डों को स वल कार्य हेतु वहाँ/मशीन उपयोग के लए दिये गए थे जिसके सापेक्ष वगत 03 वर्षो के अंतराल मे कुल रु 203.59 लाख की वसूली हायर चार्जेज़ के रूप मे की जानी थी, जिसके सापेक्ष मात्र रु 79.97 लाख क ही वसूली की जा सकी थी जब क रु 123.62 लाख वसूली वर्तमान तक भी लंबित थी ।

उक्त की ओर इं गत कए जाने पर खंड द्वारा तथ्य को स्वीकार्य कराते हुये उत्तर मे बताया गया क समय -2 पर खंडो को वसूली हेतु पत्र लखा जाता है तथा उच्च स्तर से भी इसके प्रयास कये जा रहे है ।

अतः खंड के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है क व भन्न वभागो/ खंडो से हायर चार्जेज के रूप मे रु 123.62 लाख की धनरा श वसूल करने मे न केवल असफल रहा अ पतु इसके कारण वाहन/मशीन की मरम्मत एवं उक्त के सापेक्ष देयकों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, का प्रकरण उच्चा धकारिओ के संज्ञान मे लाया जाता है ।

प्रस्तर 1- कार्य पूर्ण न होने से 113.14 लाख की धनरा श का अवरूद्ध रहना।

खण्ड के अंतरग्त निक्षेप मद में व भन्न 06 वभागों द्वारा कुल 125.89 लाख की धनरा श अवमुक्त की गयी थी जिसके सापेक्ष वर्ष 2012 से वर्ष 2015 के मध्य कुल 87.52 लाख की प्रा व धक स्वीकृति प्राप्त की गयी थी। उपरोक्त कार्यों की निष्पादन हेतु कुल 08 अनुबंध 59.04 लाख हेतु गठित कए गए थे जिसके अनुसार कार्यों की निर्धारित समाप्ति अव ध (02 अनुबंध 17/SE व 03/SE को छोड़कर) 2017 अ धकतम मार्च 2017 थी।

अ धशासी अ भयन्ता, वद्युत एवं यांत्रिक खण्ड (लो.नि. व.), गोपेश्वर की लेखापरीक्षा में पाया गया (फरवरी 2018) क उपरोक्त अनुबन्धों की निर्धारित समाप्ति अव ध के 09 माह से 62 माह बाद भी उक्त अनुबन्धों पर वत्तीय प्रगति मात्र 12.85 लाख की थी एवं कार्य पूर्ण न होने से अनुबंध का अंतिमीकरण नहीं कया गया था जिससे वभागों द्वारा अवमुक्त की गयी अवशेष धनरा श 113.14 लाख (125.99 लाख - 12.85 लाख) कई वर्षों से अवरूद्ध पड़ी थी। पुनः श्र मक दरों एवं सामाग्री की दरों में वृद् ध के कारण कार्य की लागत में भी वृद् ध की सम्भावनाओं से इंकार नहीं कया जा सकता।

उक्त की ओर इं गत करने पर खण्ड द्वारा उत्तर में बताया गया क ग्राहक वभाग द्वारा स वल कार्यों को पूर्ण करने के उपरांत ही वद्युतीकरण का कार्य कया जाना संभव था। अतः स वल कार्य में देरी के कारण ही कार्य पूर्ण न कए जा सके। पुनः कार्यों की लागत की वृद् ध के संबंध में खण्ड द्वारा बताया गया क कार्य के निष्पादन के पूर्व कार्य को पुनरी क्षत करा लया जाएगा।

अतः खण्ड के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है क खण्ड को ग्राहक वभाग से प्राप्त धनरा श का व्यय वगत कई वर्षों से नहीं कया जा सका था। जिसके न केवल 113.14 लाख की धनरा श अवरूद्ध पड़ी थी अ पतु समयाव ध के अंतर्गत कार्य पूर्ण न होने से कार्य की लागत में वृद् ध की संभावना से भी इंकार नहीं कया जा सकता, का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
122/2004-05	-	1,2,3
151/2007-08	-	1,2,3
98/2011-12	-	1,2
86/2012-13	-	1,2

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
NIL				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, वद्युत एवं यात्रिक खण्ड, गोपेश्वर तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
(i)	श्री टीका राम कोठारी	अ धशासी अ भयन्ता	31/12/2009 से 05/10/2013 तक
(ii)	श्री राम आसरे	अ धशासी अ भयन्ता	05/10/2013 से 26/12/2016 तक
(iii)	श्री वमल प्रसाद चौधरी	अ धशासी अ भयन्ता	26/12/2016 से वर्तमान तक

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

(i) श्री डी.एस.रावत

(ii) श्री रघुवीर संह राणा

(iii) श्री अर वन्द कुमार

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, वद्युत एवं यात्रिक खण्ड, गोपेश्वर को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आ र्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन , कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी

आ र्थक खण्ड-II